सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या	– 01/2017 आर्म्स अपील (RCMS/2017/00039)
पंजीयन दिनांक	– 06.06.2017
निर्णय दिनांक	– 18.06.2018

1. श्री बृजेन्द्र कुमार अग्रवाल पिता स्वर्गीय श्री सुखवीर सिंह अग्रवाल, निवासी 33, श्रीजी विहार, सुखाडिया नगर, नाथद्वारा।

–अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द ।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री शरद पालीवाल	– वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा	– राजकीय अधिवक्ता

अपील अन्तर्गत धारा–18 आयुघ अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 08.03.2017
जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

निर्णय

दिनांक 18.06.2018

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा–18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 08.03.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री बृजेन्द्र कुमार अग्रवाल पिता स्वर्गीय श्री सुखवीर सिंह अग्रवाल, निवासी 33, श्रीजी विहार, सुखाडिया नगर, नाथद्वारा द्वारा N.P. 32 Bore Revolver No. A0861/08(2).12 Bore DBBL No. 130721 शस्त्र लाईसेंस न. 4/2005 की अवधि दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 31.12.2019 तक नवीनीकरण हेतु दिनांक 23.12.2016 को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द की रिपोर्ट को आधार मानते हुए से शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण किया जाना

उचित नहीं मानते हुए आदेश दिनांक 08.03.2017 पारित किया। उक्त आदेश से जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा शस्त्र लाईसेंस न. 04/2015 तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाकर शस्त्र पुलिस स्टेशन नाथद्वारा में जमा कराने के निर्देश दियें। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की पत्रावली मंगवाई गयी। प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त लाईसेंस जारी किये जाने की समस्त शर्तों का पालन किया गया, उनमें किसी प्रकार की चुक नहीं की है। अपीलान्ट एक प्रतिष्ठित माईनिंग व्यवसाई है जिसके लिये उसे दुरदराज इलाकों में आना जाना पड़ता है, सुरक्षा के लिए उक्त लाईसेंस जारी किया गया था। अपीलान्ट द्वारा अपनी व अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये हवाई फायर किया गया था। अगर अपीलान्ट शस्त्र का उपयोग नहीं करता तो अपीलान्ट के उपर जानलेवा हमला कर सम्पत्ति पर कब्जा किया जा सकता था। अपीलान्ट की औधोगिक भूमि जिस पर सुराणा मिनरल्स प्रा.लि. संचालित है, पर प्रदीप काबरा व अन्य 20–25 व्यक्तियों द्वारा दिनांक 18.09.2016 को प्रातः 7–7:30 बजे अवैध रूप से प्रवेश कर पत्थर डालकर बाउड्रीवाल का निर्माण करने आये, अपीलान्ट द्वारा मौके पर उक्त व्यक्तियों को मना किया गया। पुलिस को फोन किये जाने पर पुलिस नहीं आई। उक्त लोग अपीलान्ट से लडाई झगडा व जान से मारने पर आमदा थे, जिससे अपीलान्ट द्वारा हवाई फायर किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में नाथद्वारा में अपराध 147, 149, 447 आईपीसी की धारा में प्रकरण संख्या 366/2016 दर्ज कराया गया। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा पुलिस थाना, नाथद्वारा द्वारा एफआईआर नम्बर 365/2016 के आधार पर आदेश पारित किया गया जबकि 366/2016 की भी पत्रावली पर विचार किया जाना था क्योंकि लाईसेंस जारी करते समय जो शर्तें दी गई उनका उल्लघंन अपीलान्ट ने नहीं किया है। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा एक तरफा उक्त आदेश पारित कर दिया जिसमें विधि की भारी भूल की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का आदेश निरस्त कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण जारी कराये जाने के आदेश फरमाने हेतु अनुरोध किया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा रिपोर्ट दिनांक 09.01.2017 से शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने की अनुशंषा की गई है। अतः जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी को

शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने का निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18.09.2016 को पिस्टल से फायर करने पर अपीलान्ट के विरूद्ध थाना नाथद्वारा पर प्र.स. 365/16 धारा 307 आईपीसी में दर्ज होकर चार्जशीट नं. 297/16 को कता की जाकर न्यायालय में पेश किया, जो न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में आवेदक श्री बृजेन्द्र अग्रवाल का हथियार भी जब्त किया गया है। पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार शस्त्र लाईसेंस दिनांक 31.12.2019 तक नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा प्रकरण में तथ्यों, चार्जशीट प्रस्तुत होने एवं प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र लाईसेंस संख्या 04/2005 निलंबित किया जाना व्यापक जनहित में विधि अनुकूल मानते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 08.03.2017 पारित किया गया। उक्त आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है, आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2017 में कोई हस्तक्षेत करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर